23 जुलाई, 2021 कार्यकारी आदेश 2021-15

कार्यकारी आदेश 2021-15
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 84)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, जो 1,400,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 23,400 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, जैसे इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ा है वह अभूतपूर्व रहा है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबकि, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह के अनुसार, स्कूलों को K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए CDC के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और मास्क पहनने सहित, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम का पता लगाने के लिए स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए; और,

जबकि, CDC ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को चाहिए कि उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखें; और

जबकि, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 23,400 से अधिक इलिनॉय वासियों के दुखद नुकसान के कारण और दसियों हज़ार से अधिक लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के अलावा, COVID-19 ने राष्ट्र और राज्य भर में व्यापक आर्थिक नुकसान किया है और एक महत्वपूर्ण संख्या में व्यक्तियों और व्यवसायों के वित्तीय कल्याण के लिए खतरा बना हुआ है; तथा,

जबकि, राज्य में कई कार्यकारी एजेंसियां अपने सीमित संसाधनों को COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं; तथा,

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एगरीकलचर (Illinois Department of Agriculture, (IDOA)) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए डेड एनीमल डिस्पोज़ल एक्ट (Dead Animal Disposal Act) के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें कीटनाशक का छिड़काव करने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण के संचालन के लिए नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और,

जबकि, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए बिज़नेस इंटूप्पशन ग्रांट प्रोग्राम (Business Interruption Grant Program) के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और,

जबकि, 23 जुलाई, 2021 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी आपातकालीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के जवाब में, मुझे कार्यकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, और 2021-13, को फिर से जारी करना आवश्यक पाता हूं, और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा समाविष्ट करता हूं;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 23 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः प्रकाश।

सरकारी आदेश 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 2021-12, और 2021-13 को निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना; राज्य कर्मचारियों के लिए रोग अवकाश आवश्यकता की समाप्ति):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसिज़ (Department of Central Management Services) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फ़ूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरस्वास्थ्य (टेलिहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-09 के अनुभागों 9, और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।
कार्यकारी आदेश 2020-09 को निम्नवत संशोधित और सुधारित किया जाता है:

अनुभाग 9. राज्यपाल आपदा उद्घोषणा अवधि के लिए, मानसिक स्वास्थ्य एवं विकासात्मक विकलांगता गोपनीयता अधिनियम, 740 ILCS 110 के अनुसार, या 1996 के संघीय स्वास्थ्य बीमा वहनीयता एवं जवाबदेही अधिनियम, सार्वजनिक क़ानून 104-191, और उनमें आगे चलकर होने वाले संशोधन और उनके तहत प्रख्यापित विनियमों के अनुसार, एक कवर्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और/या कवर्ड संस्था, जो टेलीहेल्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑडियो या वीडियो संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता/करती है, ~~अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग - नागरिक अधिकार कार्यालय (U.S. Department of Health and Human Services – Office of Civil Rights) द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी किए गए मार्गदर्शन की अनुरूप सीमा तक इस कार्यकारी आदेश के खंड 1 के अनुसार~~ किसी गैर सार्वजनिक फेसिंग रिमोट संचार उत्पाद का उपयोग कर सकता/सकती है जिसका शीर्षक "COVID-19 राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान टेलीहेल्थ रिमोट संचार के लिए प्रवर्तन निर्णय की सूचना" था। विवेक का यह प्रयोग किसी भी कारण से टेलीहेल्थ सेवा प्रदाताओं या कवर की गई संस्थाओं पर लागू होता है, भले ही टेलीहेल्थ सेवा COVID-19 से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों के निदान और उपचार से संबंधित हो या न हो। प्रदाताओं और कवर की गई संस्थाओं को, जहां तक संभव हो, रोगियों को सूचित करना चाहिए कि तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन संभावित रूप से गोपनीयता जोखिम पेश करते हैं। प्रदाताओं को ऐसे एप्लीकेशनों का उपयोग करते समय सभी उपलब्ध एनक्रिप्शन और गोपनीयता माध्यमों को सक्षम करना चाहिए। फेसबुक लाइव, ट्विच, टिकटोक, और इसी तरह के वीडियो संचार एप्लीकेशन, जिनका सामना आम लोगों से होता है, उनका उपयोग कवर्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या कवर्ड संस्थाओं द्वारा टेलीहेल्थ सेवा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्श्नज़ (Illinois Department of Corrections) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुविनायल जस्टिस (Illinois Department of Juvenile Justice) अधिसूचना अवधि:

कार्यकारी आदेश 2020-12 का अनुभाग 3 पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल कोड (Illinois School Code) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-21 इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करैक्श्नज़ (llinois Department of Corrections) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश</u>

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल एंड प्रोफैश्नल रेगुलेशन (Illinois Department of Financial and Professional Regulation) द्वारा की गई कार्यवाहियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसिज़ फोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (Illinois Department of Human Services Forensic Treatment Program); इलिनॉय मिपार्टमेंट ऑफ़ ह्युमन सर्वसिज़ (Illinois Department of Human Services) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल:</u>

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-29, को पूर्णरूपेण पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** या फिर तत्संबंधी विधान (HB 1957 जैसा कि 102वीं महासभा द्वारा पारित किया गया है) के अधिनियमित किए जाने एवं प्रभावी होने, इनमें से जो भी पहले हो उस तक, बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-30 (समाप्त (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय ह्युमन राइटज़ कमीशन (Illinois Human Rights Commission) के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह लाइसेंसिज़):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-45 (केनाबिस लाइसेंस):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावी रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करैक्श्नज़ में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (केनाबिस रजिस्ट्री पहचान पत्र का नवीनीकरण):

कार्यकारी आदेश 2021-05 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-03 (क्षेत्रीय शमन मेट्रिक्स):

कार्यकारी आदेश 2021-03 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-12 (चरण 5 दोबारा खोलना):

कार्यकारी आदेश 2021-12, जैसा कि नीचे संशोधित और संशोधित किया गया है, पूरी तरह से फिर से जारी किया जाता है और **21 अगस्त, 2021** तक बढ़ाया जाता है।

8. **K-12 स्कूलों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुझाव।** इलिनॉय ने 9 जुलाई 2021 को K-12 स्कूलों के लिए CDC के अपडेटेड मार्गदर्शन को पूरी तरह ग्रहण किया है। CDC की सलाह है कि घर के अन्दर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सभी लोगों (2 वर्ष और उससे अधिक उम्र के) को मास्क पहनना चाहिए जिन्हें पूरी तरह वैक्सीन नहीं लगी है। CDC स्कूलों को सुरक्षित रखने के लिए रोकथाम के महत्वपूर्ण उपायों के रूप में शारीरिक दूरी, स्क्रीनिंग टेस्टिंग, वेंटिलेशन, हाथ धोने और श्वसन शिष्टाचार का पालन करने, बीमार पड़ने पर घर में रहने और टेस्ट करवाने, क्वारंटाइन और आइसोलेशन के साथ-साथ संपर्क का पता लगाने, और साफ़-सफाई रखने और संक्रमण को रोकने से जुड़े उपाय करने की भी सलाह देता है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करने के महत्व के कारण, जिन स्कूलों में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें अपने-अपने ढांचों के भीतर यथासंभव शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहिए (मास्क लगाने और अन्य रोकथाम सम्बन्धी रणनीति के अलावा), लेकिन न्यूनतम दूरी आवश्यकता का पालन करने के लिए छात्रों को वैयक्तिक शिक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। CDC के मार्गदर्शन के अनुसार, इलिनॉय स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को सामुदायिक प्रसार और स्थानीय वैक्सीन कवरेज के स्तर पर नजर रखकर, और K-12 स्कूलों में मामलों का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्टिंग का उपयोग करके, अपने क्षेत्र में आवश्यक रोकथाम रणनीतियों का निर्धारण करने के लिए स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों के साथ काम करना चाहिए। CDC यह भी कहता है कि समुदाय की आवश्यकता के आधार पर, स्कूल व्यवस्थापक, स्कूल में हर जगह मास्क का उपयोग करना आवश्यक (अर्थात्, वैक्सीनेशन स्टेटस की परवाह किए बिना आवश्यक) बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। CDC के मार्गदर्शन सम्बन्धी सुझाव के अनुसार, यदि स्कूल व्यवस्थापक, स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अपने स्कूल की किसी रोकथाम रणनीति को हटाने का फैसला करते हैं तो उन्हें एक बार में एक रणनीति को हटाना चाहिए और काफी करीब से (स्कूल और/या समुदाय भर में पर्याप्त टेस्टिंग के साथ) इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि COVID-19 के मामलों में कहीं कोई बढ़ोत्तरी तो नहीं हो रही है। स्कूल में मास्क नीति की परवाह किए बिना, यात्रियों और ड्राइवरों को स्कूल बसों में मास्क जरूर लगाना चाहिए, जिसमें सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूल सिस्टमों द्वारा चलाई जाने वाली बसें भी शामिल हैं, जो CDC के आदेश में अपवर्जन और अपवाद के अधीन है, जिसके तहत लोगों को वाहनों पर और परिवहन केन्द्रों में मास्क पहनना जरूरी है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 (आवासीय निष्कासन स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2021-14 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2021-13 के अनुभाग 1, 4, 5, 7 और 8 को फिर से जारी और **21 अगस्त 2021** तक विस्तारित किया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2021-13 के अनुभाग 2 को पुनः जारी किया जाता है एवं **31 जुलाई, 2021** तक बढ़ाया जाता है, जिसके बाद अनुभाग 2 निरस्त कर दिया जाएगा।

भाग 2: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

____

जेबी प्रित्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 23 जुलाई, 2021 को जारी
राज्य सचिव द्वारा 23 जुलाई, 2021 को दायर